पत्रावली [illegible] पेश हुई। अपीलार्थी उप०।
तहसीलदार से आख्या [illegible] किरायानामा प्रपत्र में
व अन्य प्रमाण व हैसियत [illegible] से अपीलार्थी
रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली दिनांक 12-10-20
को पेश हो।

12.10.20 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं / काज पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 27.10.20
को पेश हो।

रीडर

27-10-20 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार किरायानामा
के पत्रांक 505 दिनांक 8-10-20 के द्वारा
रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल हो। वहस वकील
अपीलार्थी सुनी गयी। निर्णय वास्ते आदेश
दिनांक 2-11-20 को पेश हो।

02-11-20, वकील अपीलार्थी उप०। अपील अपीलार्थी
स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखा जावे। नकल पत्रावली हो।
पत्रावली [illegible] जुमार दर्ज कर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया
गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज०

[illegible] पीठासीन द्वारा:- श्री [illegible] (आर.ए.एस.)

दर्ज तिथि 17.09.2020 — निर्णय तिथि 02.11.2020

1 [illegible] पुत्र जीवतमल [illegible] जाति खत्री निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज० हाल निवासी एफ–134 सुदर्शन पार्क, मोतीनगर, पश्चिम दिल्ली।

:- अपीलान्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत किशनगढबास पंचायत समिति, किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज० नवगठित नगर पालिका किशनगढबास जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका किशनगढबास ।

:-रेस्पो०

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत किशनगढबास प.स. किशनगढबास नामान्तकरण सख्या 3132832 दिनांक 22.02.2011

उपस्थिति:–

1– श्री अजय यादव वकील अपीलान्ट की और से।

2– श्री सूरजभान भण्डाना वकील रेस्पो०

–: निर्णय:–

पत्रावली पेश हुई । अपील का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

अपील अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास मे जीवतमल पुत्र विष्णुमल जाति खत्री निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास के दिनांक 08.09.2010 को फोत होने पर तत्कालीन हल्का पटवार मण्डल किशनगढबास ने इन्तकाल सख्या 2832 दिनांक 05.02.2011 को दर्ज करके दिनांक 18.02.2011 को गिरदावर कानूनगो द्वारा मिलान के पश्चात आराजी खसरा नम्बर 460, 461, 472, 473 व दीगर आराजीयात वाके ग्राम किशनगढबास गैरखातेदारी को रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत किशनगढबास ने दिनांक 22.02.2011 को स्वीकार फरमाया है ।

बाद दर्ज होने इन्तकाल विरासत अपीलान्ट व दीग्र परिवारजन ने कीमत कर्जा आराजी जमाकोष कराकर सनद पटटा सख्या 2011/169 दिनांक 04.11.2011 को पुर्नवास विभाग तहसीलदार किशनगढबास से जारी कराया । जिसके आधार पर इन्तकाल सख्या 29.6 दिनांक 18.11.2011 को पटवारी हल्का किशनगढबास ने दर्ज कर दिनांक 9.12.2011 को इन्तकाल खातेदार माननीय तहसीलदार किशनगढबास से स्वीकार फरमाया गया। नकल इन्तकाल विरासत 2832 व नकल इन्तकाल खातेदारी सख्या 2906 सलग्न अपील है। अपीलान्ट के पिता जीवतमल के फौत होने पर इन्तकाल विरासत सख्या 2832 मे अपीलान्ट का नाम जरीकुमार तथा अपीलान्ट की बहन लक्ष्मीबाई का नाम अंकित है चूंकी अपीलान्ट को प्यार से घर के लोग जरीकुमार के नाम पुकारते है जिसके कारण विरासत इन्तकाल मे जरीकुमार अंकित कर दिया । जबकी अपीलान्ट का वास्तिविक

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

लखवानी था यही नाम अपीलान्ट के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पासबुक, बीमा पोलोसी अंकित है इसी कदर विरासत इन्तकाल मे जीवतमल की पुत्री लक्ष्मीबाई का पीहर का और शादी के पश्चात ससुराल वालो ने हेमा देवी नाम रखते हुए आधार कार्ड सख्या 3222 4475 जारी करा लिया । जिस आधार के अनुसार हेमादेवी के नाम से बैक पास बुक , बीना सी , पैन कार्ड जारी कराये हुए है इसी कदर शकुन्तला पुत्री विष्णुमल पीहर का नाम अंकित है विवाह पश्चात ससुराल वालो ने पूनम पमनानी दर्ज कराते हुए पहचान पत्र सख्या एक्ससी0719914 जारी कराया हुआ है जिस आधार के अनुसार हेमादेवी के नाम से बैक पास बुक बीना पोलोसी , पैन कार्ड जारी कराये हुए है शकुन्तला पुत्री विष्णुमल मिन अपीलान्ट की सगी बुआ है तथा मेरे पिता जीवत मल की सगी बहन है रिकार्ड पटवारी तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, के नामो की भिन्नता के कारण अपीलान्ट को बटवारा आराजी कराने, बेचान करने , रिलीज करने मे भारी परेशानी हो रही है तथा अपीलान्ट का कृषि विकास कार्य रूका हुआ है ऐसी सूरत मे विरासत इन्तकाल मे दर्ज नामो को दुरूस्त कराकर पुनः इन्तकाल विरासत दर्ज कराया जाना आवश्यक है चूकी शकुन्तला पुत्री विष्णुमल खनी वृद्व ओरत है दिल्ली मे रहकर मेहनत मजदूरी करते है विकास कार्य रूका हुआ है ऐसी सूरत मे नकल इन्तकाल प्राप्त की जाकर बिनादेरी अपील न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत की जा रही है ।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा रेस्पो0 बाबत इन्तकाल 2832 दिनांक 22.02.2011 व नामान्तकरण सख्या 2906 दिनांक 22.11.2011 सही नाम का अंकन मुताबिक जमाबन्दीयात के कराया जाने की कार्यवाही सादिर आज्ञा फरमाई जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 की और से अभिभाषक द्वारा यू0टी0 पेश की।

हमने अपील अपीलान्ट की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोराहते हुए अपील अपीलान्ट को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट एवं बहन लक्ष्मीबाई का नाम हेमादेवी एवं बुआ शकुन्तला देवी का नाम पूनम पमनानी दर्ज किये जाने निवेदन किया।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस एवं पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया । तथा नामान्तकरण सख्या 2832 वाके ग्राम किशनगढबास जीवतमल पुत्र विष्णुमल सा. देह अलौटी गैरखातेदारी का विरासत नामान्तकरण है जिसमे अपीलान्ट टिंकू का नाम जरीकुमार एवं हेमादेवी का नाम का नाम लक्ष्मीदेवी दर्ज हो गया है तथा नामान्तकरण सख्या 2832 वाके ग्राम किशनगढबास मे दर्ज आराजीयात की खातेदार दर्ज करते समय सीधे ही अपीलान्ट की बुआ पूनमदेवी का नाम शकुन्तला दर्ज हो गया। जबकी अपीलान्ट द्वारा अपना आधार सख्या 9678 9385 6776 जारी कराया हुआ है तथा हेमादेवी द्वारा भी अपना आधार सख्या 3222 1266 4475 बना. हुआ है इसी कदर पूनम पमनानी द्वारा भी अपनी मतदाता पहचान पत्र सख्या एसएचसी0719914 के नाम से जारी कराया हुआ है जिसमे उपनाम की ताईद मे तहसीलदार किशनगढबास से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा अपने पत्र कमाक/भू.अ./2648 दिनांक 12.10.2020 के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । जिसम मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2020 के अनुसार टिंकू लखवानी का नाम जरीकुमार, पूनम का शकुन्तला तथा हेमादेवी का लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है उपरोक्त टिंकू लखवानी , पूनम एवं हेमादेवी का उपनाम जरीकुमार, शकुन्तला, लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है । उक्त रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास से यह बाखूबी साबित है कि जरीकुमार का उपनाम ही टिंकू लखवानी एवं शकुन्तला का उपनाम पूनम व लक्ष्मीदेवी का उपनाम हेमादेवी है कोई भिन्न व्यक्ति नही है इसलिए नामान्करण सख्या 2832 मे जो जरीकुमार एवं

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

शकुन्तला दर्ज हो रहा है तथा उसे हम दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है अतः अपील अपीलन्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत है।

अतः आदेश है :—

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सख्या 2832, 2906 वाके ग्राम किशनगढबास मे आंशिक संशोधन किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 460, 461, 742, 743 वाके ग्राम किशनगढबास मे जहा अपीलान्ट का नाम जरीकुमार दर्ज है उसके स्थान पर टिंकू लखवानी एवं लक्ष्मीबाई के स्थान पर हेमादेवी एवं शकुन्तला के स्थान पर पूनम पमनानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया ।

(मुकुट सिह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)